

**FINANCIAL ASSISTANCE SECTION (FAS)**  
**DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT**  
**(GOVERNMENT OF NCT OF DELHI)**

1<sup>st</sup> Floor Maharana Pratap SBT Building, Kashmere Gate, DELHI

F.N.40(51)/DWCD/FAS/V.S./2021-22 / 7465-66

Dated:

28 JUL 2021

To ✓

The Deputy Secretary (Q),  
Delhi Vidhan Sabha Sectt.  
Old Secretariat, Delhi -110054

Subject: - Reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 145 dt. 30/07/2021.

Sir,

Please find enclosed herewith 100 Copies of reply of Vidhan Sabha Unstarred Question No. 145 dated 30/07/2021 raised by Hon'ble Sh. Sanjeev Jha. The same is being forwarded for further necessary action at your end.

This issue with the prior approval of the competent authority.

Enclosure: 100 Copies of the reply

*R Singh*  
Dr. RASHMI SINGH  
DIRECTOR  
DWCD,GNCTD  
Dr. Rashmi Singh  
Director

F.N.40(51)/DWCD/FAS/V.S./2021-22 / 7465-66

Dated:

28 JUL 2021

Copy to:-

1. The Secretary to Hon'ble Deputy CM / Minister WCD

*R Singh*  
Dr. RASHMI SINGH  
DIRECTOR  
DWCD,GNCTD

Dr. Rashmi Singh  
Director

विभाग का नाम - महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्यालय), दिल्ली सरकार  
विभाग का पता- पहला तल, आई.एस. बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006  
अतारांकित प्रश्न संख्या-145

दिनांक :-30/07/2021

प्रश्नकर्ता का नाम- माननीय विधायक श्री संजीव झा

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

| प्रश्न   | उत्तर   |
|--|---|
| क) पिछले एक वर्ष के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कितने विधवा पेंशन के आवेदन प्राप्त हुए;  | आर्थिक सहायता अनुभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 01/04/2020 से 22/07/2021 के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधवा पेंशन के कुल 1285 आवेदन प्राप्त हुए।  |
| ख) कितने आवेदन लंबित हैं और उनका कारण क्या है;   | आर्थिक सहायता अनुभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 01/04/2020 से 22/07/2021 के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधवा पेंशन के 93 आवेदन वर्तमानमें मुख्यतः निम्न कारणों से लंबित हैं:-<br>1. ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा समस्त वांछित दस्तावेजों का एकसाथ संलग्न न करना।<br>2. कार्यालय द्वारा आवेदन में कमी होने पर आपत्ति लगाने पर आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में देरी करना। |
| ग) आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाती है;   | सम्पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पर कार्यालय द्वारा नियमानुसार 45 दिन के अंदर आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जाता है।  |
| घ) यदि विभाग को किसी प्राप्त आवेदन में कोई त्रुटी मिलती है तो कितने समय में आवेदक को सूचित कर दिया जाता है; और                                     | कार्यालय द्वारा आवेदन पर आपत्ति लगाने पर आवेदक को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा तुरन्त एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाती है।  |
| ड.) क्या यह सत्य है कि जिन मामलों में विभाग की ओर से आपत्ति लगाई जाती है उनको आवेदक द्वारा पुनः सही कर देने के बाद भी 06 महीनों का समय लग जाता है? | नहीं, यह सत्य नहीं है। सम्पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पर कार्यालय द्वारा नियमानुसार 45 दिन के अंदर आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जाता है।   |

(डॉ रश्मि सिंह)

विभागाध्यक्ष

Dr. Rashmi Singh  
Director